## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
### पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2022/283
मुकदमा नम्बर 66/2022 दर्ज दिनांक–31.05.2022

प्रभुदयाल पुत्र रामदेवाराम जाति जाट निवासी कसेरू, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रामदेवाराम जाति जाट निवासी कसेरू
2. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू

वकील आवेदक : – श्री दिपेन्द्र सिंह
वकील अनावेदक सं. 1:– श्री विजेन्द्र सिह दूत
वकील अनावेदक सं. 2:– पैरो. राज.

**प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट**

## :: आदेश ::

**निर्णय दिनांक 07.05.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू की सरहद में भूमि खाता सं. नया 148 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 322 रकबा 0.02 है0,खसरा नं. 984/321 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पश्चिम दिशा में अनावेदक सं. 1 की भूमि खसरा नं. 983/321 रकबा 0.34 है0 स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम कसेरू पटवार हल्का कसेरू की सरहद में भूमि खाता सं. नया 148 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 322 रकबा 0.02 है0,खसरा नं. 984/321 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 की पश्चिमी सीमा पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण मे तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक सं. 2 कि और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई एतराज व्यक्त नही किया। अनावेदक सं. 1 कि और से वकील श्री विजेन्द्र सिंह दूत उपस्थित हो जवाब प्रा. पत्र निम्नानुसार पेश किया।

प्रार्थी द्वारा करवाया गया सीमाज्ञान दिनांक 24/11/2021 करवाया गया है वह उत्तरदाता की मौजूदगी व राजस्व अधिनियम के दिशा निर्देशों व नियमों के अनुसार सही नही करवाया गया है। प्रार्थी जिस भूमि की पत्थरगड्डी करवाना चाहता है उसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद पत्र मु.नं. 193/2021 विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुंनू के समक्ष विचाराधीन अपील मु. नं. 31/2022 में दिनांक 10/03/2022 से कृषि भूमि ख.नं. 322,984/321,321,983/321 के सम्बन्ध में मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के लिये स्थगन आदेश यथावत जारी है। इसलिये राजस्व वाद व स्थगन आदेश से पूर्व पत्थरगड्डी करवाने का कोई औचित्य नही है।

बहस प्रा.पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा अपने प्रा0 पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 24/11/2021 पत्थरगढी करने के आदेश किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदक सं. 1 द्वारा अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।



उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि विवादित भूमि से सम्बन्धित राजस्व प्रकरण व अपील तथा स्थगन आदेश विचाराधीन है। विवादित आराजी से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालयों मे विचाराधीन रहते हुये समान्तर कार्यवाही का कोई औचित्य नही है। पक्षकारों में अनावश्यक वाद की बाहुलता उत्पन्न होगी। लिहाजा प्रा. पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला–झुंझुनू



Scanned with CamScanner